दां.प्रकी.(जमा.) 4136/2004

08.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गर्ग,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त के कब्जे से भांग के पौधे बरामद किए गए हैं जिसे गांजा बताया जा रहा है और हरि पत्तियां गांजे की होना बताई जाकर उन्हें जब्त की गई है, जबकि पत्तियां और बीज गांजे की परिभाषा में नहीं आते। गांजे की परिभाषा में पौधे का उपरी हिस्सा जिसमें फल और उसके फूल और पौधे का सबसे उपरी हिस्सा शामील है, को माना गया है। जबकि इस प्रकरण में खेत की तलाशी लेने पर 26 किलो 100 ग्राम डंटल सहित हरे पौधे का तोल बताया गया है और कट्टे में गीली व हरि पत्तियां 5 किलो 850 ग्राम मिली है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट रेकर्ड पर नहीं आई है। इस प्रकार कोई गांजे की बरामदगी नहीं की गई। भांग के पौधे की बरामदगी की गई है। रेकर्ड पर यह नहीं बताया गया कि गांजा वाणिज्यिक मात्रा से कम था या अधिक था। इस प्रकार उनका तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अपराध करने के कोई आधार नहीं है कि उसके द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक गांजा अपने कब्जे में रखा हो। कुछ भांग के पौधे खेत में पड़े मिलना कल्टीवेशन की परिभाषा में नहीं आता। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि अभियुक्त के खेत में गांजे के पौधे लगा रखे थे जो बरामद किए गए हैं, जिनका वजन 26 किलो 100 ग्राम हुआ और कट्टे में 5 किलो 850 ग्राम पाया गया जिसे कब्जे पुलिस लिया गया है जो वाणिज्यिक अधिक मात्रा से अधिक है। अत: अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। गांजे की परिभाषा धारा 2 (iii) (b) में दी गई है, जो इस प्रकार है :

> "2. (iii) (b) ganja, that is, the flowering of fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops), by whatever, name they may be known or designated; and "

इस प्रकार भांग के पौधे के फल और फूल या उपर का हिस्सा कब्जे में नहीं लिया गया, डंटल और पत्तियां कब्जे में लिए गए हैं और इसे गांजा बताया जा रहा है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट इस प्रकरण की प्राप्त नहीं की गई है कि यह गांजा है या भांग है। डंटल व पत्तियों के अलावा गांजे का भार वाणिज्यिक मात्रा से अधिक हो, यह भी रेकर्ड पर नहीं पाया जाता। इस स्टेज पर गुणावगुण पर राय देना उचित नहीं होगा कि अभियुक्त द्वारा कोई खेती की गई अथवा नहीं या पौधे किस प्रकार से उसके खेत में पाए गए, क्योंकि उसके खेत में भांग के पौधे पाए गए हैं जिसे गांजा बताया जा रहा है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट रेकर्ड पर नहीं है कि यह गांजा ही हो, क्योंकि फूल , फल या डंटल के उपर का हिस्सा कब्जे में लेना नहीं पाया जाता बल्कि डंटल और पत्तियां कब्जे में लिया जाना पाया जाता है। इस प्रकार बिना गुणावगुण पर राय दिए, प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा में गांजा अपने कब्जे में रखा गया हो इसकी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं होने से, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी नवला पुत्र वज्जा योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा